न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या : 87/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. शारदा देवी वेवा सुरेशचन्द जैन
2. बरखा पुत्री सुरेशचन्द जैन

} जाति वैश्य निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।
2 महकमा इन्जीनियरिंग जरिये अधिशाषी अभियंता वृत कुम्हेर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 20.09.2008 बाबत नामान्तरकरण संख्या 77/वाकै कस्बा कुम्हेर प्रथम तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री विजयसिंह वकील अपीलान्ट।

2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक : 28.06.2019

निर्णय

यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 20.09.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य यह कि तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 77/ दिनांक 20.09.2008 वाकै कस्बा कुम्हेर कानून के खिलाफ किया गया है जो निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण सख्या 77/ कस्बा कुम्हेर प्रथम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश व डिक्री दिनाक 31.12.2003 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पालना में इजराय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के पत्र क्रमांक राजस्व 199 दिनांक 20.01.2004 की पालना में भरा गया है। तसीलदार कुम्हेर को उस नामान्तरकरण को डिक्री के आधार पर स्वीकार करना चाहिये परन्तु तहसीलदार कुम्हेर ने स्वीकार नहीं करते हुये यह अंकन कर (नामान्तरकरण प्रस्तुत हुआ हल्का पटवारी ने बताया कि जिला कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है नामान्तरण बहुत पुराना हो चुका है खारिज किया जाता है मार्ग दर्शन आने पर पुनः दर्ज किया जा सकेगा) खारिज कर दिया। नामान्तरकरण पुराना था तो उसे निस्तारण के लिये मार्ग दर्शन लेने की कार्यवाही तहसीलदार को करनी चाहिये।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश व डिक्री दिनांक 31.12.2003 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 77/ दिनांक 20.09.2008 भरा गया। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व जिला कार्यालय से मार्ग दर्शन मांगा गया था। मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने का उल्लेख करते हुये नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। तहसीलदार ने नामान्तरकरण गलत खारिज किया है। प्रकरण में मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें अपीलान्ट का क्या दोष है। तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा नामान्तरकरण गलत खारिज किया गया है। प्रकरण पुनः तहसीलदार कुम्हेर को रिमान्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत तहसीलदार ~~बयाना~~ कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2008 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 77(के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि यह नामान्तरकरण उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के आदेश क्रमांक 199 दिनांक 20.01.2004 की पालना में भरा गया जिस पर जिला कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त न होने की स्थिति में तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2008 पारित करते हुये नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया हैं जो न्यायोचित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि दौराने कार्यवाही अपीलाधीन नामान्तरकरण किसी सक्षम अदालत का कोई स्थगन प्रभावी था बाबजूद इसके बिना किसी कारण के हुकमन आदेश की पालना न किया जाना अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित नहीं रहता है। लिहाजा यह प्रकरण पुनः हुक्मन आदेश की पालना में विधिवत जांचोपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जाना ही न्यायोचित रहता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आज्ञा दिनांक 20.9.2008 निरस्त किया जाता है। यह प्रकरण परीक्षण न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के हुक्मन आदेश दिनांक 31.12.2003 के परिपेक्ष्य में पुनः नये सिरे से नियमानुसार जांच कर नामान्तरकरण के संदर्भ में न्यायिक एवं तार्किक निर्णय परित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सुनाया गया।

(नारायणसिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर.)